अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.20-41/2013/स्था.।   दिनांक: 24 APR 2023

कार्यालय आदेश

विषय: एम्स, नई दिल्ली के भीतर यातायात आवागमन को सुव्यवस्थित करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर संस्थान के निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 27.10.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं.40-30/2022-स्था.-। **(प्रतिलिपि संलग्न)** में आंशिक संशोधन करते हुए डॉ. जितेन्द्र सोढ़ी, सह-आचार्य, अस्पताल प्रशासन के स्थान पर डॉ. अरूण वर्मा, सहायक आचार्य, अस्पताल प्रशासन को एम्स, नई दिल्ली के भीतर यातायात आवागमन को सुव्यवस्थित करने हेतु गठित समिति के सदस्य-सचिव के रूप में नामित किया गया है।

दिनांक 27.10.2022 के उक्त ज्ञापन सं. 40-30/2022-स्था.। में निहित शेष विषय-वस्तु यथावत् रहेगी।

अनिता टेटे

(अनिता टेटे)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

1. **डॉ. अरूण वर्मा,**
   सहायक आचार्य, अस्पताल प्रशासन विभाग
   द्वारा: आचार्य एवं अध्यक्ष, अस्पताल प्रशासन,
   एम्स, नई दिल्ली

2. **डॉ. जितेन्द्र सोढ़ी,**
   सह-आचार्य, अस्पताल प्रशासन
   द्वारा: आचार्य एवं अध्यक्ष, अस्पताल प्रशासन,
   एम्स, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1.	डॉ. वेंकटेश्वरन अय्यर, आचार्य एवं अध्यक्ष, विकृति विज्ञान विभाग	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. सुमन जैन, शरीरक्रिया विज्ञान विभाग	-	सदस्य
3.	प्रो. विजय प्रकाश माथुर, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र	-	सदस्य
4.	प्रो. सेंजम सूरज सिंह, डॉ. रा.प्र. केन्द्र	-	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियंता	-	सदस्य
6.	सुरक्षा विभाग के प्रतिनिधि	-	सदस्य

वेबसाइट
पृष्ठ

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

1) संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा अनुभाग)।
2) सभी केन्द्र प्रमुखगण/विभागाध्यक्षगण/अनुभाग/एकक, एम्स, नई दिल्ली।
3) निदेशक महोदय के निजी सचिव/अपर निदेशक (प्रशा.) के प्रधान निजी सचिव/चिकित्सा अधीक्षक/वरिष्ठ वित्त सलाहकार/उप-सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/मुख्य सुरक्षा अधिकारी, एम्स, नई दिल्ली।
4) समस्त केन्द्रों एवं स्थापना अनुभागों के सभी वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासन अधिकारी
5) संबंधित स्थापना अनुभाग (संबद्ध संकाय की वैयक्तिक फाइल हेतु)।
6) **कंप्यूटर सुविधा** - कृपया इस आदेश को संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कराने के अनुरोध सहित।

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility
02 MAY 2023
समय / Time 4:30
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली / A.I.I.M.S., New Delhi

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

निदेशक कार्यालय

फा. सं. 40-30/2022-स्था.1 27.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- एम्स में यातायात के आवागमन को सुव्यवस्थित करने संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्वी अंसारी नगर और मस्जिद मोठ परिसरों का दौरा किया गया एवं पाया गया कि वहाँ अत्यधिक यातायात भीड़, अनधिकृत पार्किंग, और रोगियों एवं उनके परिचारकों हेतु आंतरिक परिवहन सुविधाओं का अभाव है। निजी एवं सार्वजनिक वाहनों को भी तेज रफ्तार से एम्स के मार्ग का आम रास्ते के तौर पर प्रयोग करते पाया गया है, जिससे व्हीलचेयर वाले रोगियों और पैदल चलने वालों को तो असुविधा हो ही रही है साथ ही एम्स परिसर में प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के प्रवेश को नियंत्रित न किए जाने से, वाहनों की इस तरह की आवाजाही छात्रावासों में रहने वाले छात्रों एवं छात्राओं के लिए जोखिम पैदा कर रही है और परिसर में असामाजिक तत्वों के प्रवेश का कारण भी बन रही है। तदनुसार, इस संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

1. **दिनांक 1 अप्रैल 2023** से पूर्वी अंसारी नगर और मस्जिद मोठ परिसर की व्यापक यातायात संचालन योजना संलग्न मानचित्र के अनुसार प्रभावी होगी।

2. एम्स के प्रवेश द्वार निम्नानुसार निर्दिष्ट किए जाएंगे:

   i) एम्स में प्रवेश केवल गेट नं 1 से होगा। एक गेट से प्रवेश सीमित होगा और उसमें केवल एम्स आरएफआईडी स्टिकर वाहनों का ही प्रवेश होगा, जबकि दूसरे गेट का उपयोग आपातकालीन विभाग की ओर जाने वाली एंबुलेंस, जनता आदि द्वारा किया जाएगा।

   ii) निकास केवल गेट नं. 2 से होगा।

   iii) गेट नं. 3 और 6 का प्रयोग प्रवेश और निकास दोनों के लिए किया जाएगा।

   iv) गेट नं. 8 केवल एम्स कर्मचारियों एवं एम्बुलेंस के उपयोग हेतु होगा।

3. एम्स इलेक्ट्रिक शटल सेवा, मेट्रो स्टेशन निकास के निकट गेट नं. 1 के बाहर से मस्जिद मोठ परिसर जाने वाले रोगियों को गेट नं. 3 से होते हुए सीधे मस्जिद मोठ परिसर में ले जाएगी। सुरक्षा विभाग द्वारा गार्ड तैनात किया जाएगा तथा रोगियों और उनके परिचारकों हेतु सरलता से प्रवेश एवं निकास के लिए पर्याप्त यातायात संचालन की व्यवस्था की जाएगी।

4.एम्स इलेक्ट्रिक शटल नियमित रूप से गेट नं. 1 से हृद् तंत्रिका केंद्र, डॉ.भी.रा.अ.सं.रो.कैं.अ, सीडीईआर आदि जाने वाले रोगियों को भी वहाँ पहुँचाएगी। वर्तमान में सुरक्षा विभाग द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे गेट नं. 1 के पास बने अस्थायी हॉल का प्रयोग इलेक्ट्रिक शटल वाहन

की प्रतीक्षा कर रही गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों हेतु प्रतीक्षा क्षेत्र के रूप में किया जाएगा।

5. एम्स परिसर में रोगियों और उनके परिचारकों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने हेतु केंद्रीय परिवहन विभाग तत्काल 50 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक शटल खरीदेगा एवं एम्स को स्वच्छ और हरित बनाने में योगदान देगा। सभी मौजूदा एवं नए इलेक्ट्रिक शटल वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा और शटल के पहुंचने का अपेक्षित समय सभी पिकअप स्टेशनों पर वास्तविक समय के आधार पर प्रदर्शित किया जाएगा।

6. मस्जिद मोठ परिसर की ओर जाने वाले सभी वाहनों को गेट नं. 3 और 6 से जाने का परामर्श दिया जाएगा।

7. **एम्स द्वारा जारी किए गए सभी पेपर पार्किंग स्टिकर्स दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से अमान्य हो जाएंगे** जिनके स्थान पर आरएफआईडी आधारित स्टिकर लगाए जाएंगे। इंजीनियरिंग सेवा विभाग द्वारा सुरक्षा विभाग के परामर्श से दिनांक 31 जनवरी 2023 तक सभी गेट, प्रतिबंधित यातायात मार्गों, पार्किंग क्षेत्रों आदि हेतु आरएफआईडी एक्सेस प्रणाली स्थापित की जाएगी। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे ईसीआईएल, टीसीआईएल आदि की सेवाओं पर उक्त प्रणाली की शीघ्र स्थापना हेतु विचार किया जा सकता है या तत्काल आधार पर बोली लगाकर इसको प्राप्त किया जा सकता है।

8. मैसर्स एच.एस.सी.सी. दिनांक 15 नवंबर 2022 तक मस्जिद मोठ परिसर के सभी ब्लॉकों के तहत 3-स्तरीय भूमिगत पार्किंग को परिचालन हेतु संक्षम एवं बाधा मुक्त बना देगा। इसके उपरांत इंजीनियरिंग सेवा विभाग द्वारा सुरक्षा विभाग के परामर्श से पर्याप्त संकेतसूचक बोर्ड लगाए जाएंगे और 31 दिसंबर 2022 तक पार्किंग को पूरी तरह से आरंभ कर दिया जाएगा। दिनांक 1 जनवरी 2023 से मस्जिद मोठ परिसर में भूमिगत पार्किंग की पहली दो मंजिलें एम्स के कर्मचारियों हेतु आरक्षित हैं जिसमें संकाय और कर्मचारियों को अपने वाहन पार्क करने की सुविधा देने के लिए विभागवार जगह निर्धारित की जाएगी।

9. गेट नं. 2 के निकट संकाय और स्टाफ दोनों पार्किंग स्वयं ड्राइविंग करने वाली संकाय/स्टाफ महिला द्वारा एवं स्वयं ड्राइविंग करने वाले दिव्यांग संकाय/स्टाफ के वाहनों हेतु आरक्षित होगी।

10. संलग्न मानचित्र में दर्शाए गए प्रारंभिक घुमावदार मार्गों पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी।

11. इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पश्चिमी अंसारी नगर परिसर की ओर टनल मार्ग से एनबीसीसी निर्माण स्थल सहित पश्चिमी परिसर में रहने वाले संकायगण और स्टाफ सदस्यों के आने-जाने हेतु मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गेट नं. 1 से किसी भी निकास की अनुमति नहीं होगी, इस मार्ग को हर समय परिचालित रखा जाएगा।

12. एम्स में उन रोगियों और उनके परिचारकों के लिए वालेट पार्किंग आरंभ की जाएगी जो इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं। दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक केंद्रीय परिवहन द्वारा इस अनुबंध को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है।

निम्नलिखित समिति द्वारा इस कार्यालय ज्ञापन को लागू करने हेतु निरीक्षण एवं सहायता प्रदान की जाएगी और समिति के अध्यक्ष द्वारा अधोहस्ताक्षरी को इसकी साप्ताहिक रूप से अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

i) प्रो. वेकंट अय्यर, विभागाध्यक्ष, विकृति विज्ञान	-	अध्यक्ष
ii) प्रो. सुमन जैन, शरीरक्रिया विज्ञान	-	सदस्य
iii) प्रो. विजय माथुर, दंत शिक्षा एंव अनुसंधान केंद्र.	-	सदस्य
iv) डॉ. सेंजम सूरज सिंह, रा.प्र.कें.	-	सदस्य
v) श्री सत्येंद्र कुमार, मुख्य सुरक्षा अधिकारी	-	सदस्य
vi) श्री जितेंद्र सक्सेना, अधीक्षण अभियंता, एम्स	-	सदस्य
vii) डॉ. जितेंद्र सोढी, अस्पताल प्रशासन	-	सदस्य-सचिव

यह समिति, इस कार्यालय ज्ञापन के कार्यान्वयन की पूर्णत: सुनिश्चितता हेतु एवं भंडार अनुभाग या इंजीनियरिंग विभाग द्वारा की जाने वाली किसी भी खरीद के लिए टीएसईसी के रूप में भी कार्य करेगी।

(प्रो. एम श्रीनिवास)
निदेशक

वितरण: (इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों को परिचालित करने के अनुरोध सहित)

1. संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशा.)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्र के प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई झज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. अधीक्षण अभियंता (एम्स)

(नोट:- किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)